कार्यालय जिला पंजीयक कबीरधाम (छ.ग.)

☎ दूरभाष :– 07741–233061, ई– मेल : dr.kabirdham-cg@gov.in

–:: विज्ञापन ::–

क्रमांक / 599 / जि.पं. / स्था.भर्ती / 2023 कबीरधाम, दिनांक 24/07/2023

छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 6–76 / 2021 / वाक.(पं.) / पॉच, नवा रायपुर, दिनांक 03 / 11 / 2022 एवं कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक छ.ग. रायपुर के पत्र क्रमांक 79 / स्था.सेवा / 126 / 2021 नवा रायपुर, दिनांक 12 / 01 / 2023 के निर्देशानुसार कार्यालय जिला पंजीयक कबीरधाम के स्थापना के रिक्त भृत्य पद की पूर्ति सीधी भर्ती के द्वारा किये जाने हेतु निर्धारित योग्यता रखने वाले योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित है। निर्धारित योग्यता रखने वाले छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी दिनांक 25 / 08 / 2023 को सांय 5.30 बजे तक रजिस्टर्ड डाक, स्पीड पोस्ट अथवा स्वयं के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते है।

- भृत्य, कुल वेतनमान 15600– 49400 वेतन मैट्रिक लेवल– 1

क्र	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छ.ग. के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छ.ग. भूतपूर्व सैनिकों के लिए वर्गवार आरक्षित पद				कुल रिक्तियों में से छ.ग. के स्थानीय निवासी निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पद	योग
	अना.	अ.जा.	अजजा	अपिव	अना.	अ.जा.	अजजा	अपिव	अना	अ.जा.	अजजा	अपिव		
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

टीप :– **पदों की संख्या परिस्थिति अनुसार परिवर्तनीय होगी।**

- **शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताऍ :–**
  1. कक्षा– 5 वीं परीक्षा उत्तीर्ण।

- **निर्धारित आयु सीमा :–**

  1. अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2023 को न्यूनतम 18 वर्ष पूर्ण कर ली हो तथा 35 वर्ष से अधिक न हो, छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक / एफ3–2 / 2015 / 1–3 / एफ नया रायपुर, दिनांक 30.01.2019 अनुसार कैलेण्डर वर्ष 2023 की समाप्ति तक के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष छूट प्रदान की गई है। अन्य विशेष वर्गो के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय सभी छूट यथावत रहेगी, किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। आयु के समर्थन हेतु जन्म प्रमाण–पत्र, कक्षा– 5वीं, 8वीं एवं 10वीं की अंकसूची जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, दस्तावेज के सत्यापन के समय मूलप्रति एवं 01 स्व–प्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होगा।
  2. यदि अभ्यर्थी छ.ग. शासन द्वारा अधिसूचित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग (गैर–क्रिमीलेयर) का होकर राज्य का मूल निवासी है, तो उसे उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 (पॉच) वर्ष तक की छूट दी जायेगी।
  3. सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 3–1 / 2016 / 1–3 नया रायपुर, दिनांक 11.01.2017 के अनुसार केवल छ.ग. राज्य के निवासी महिलाओं के लिए उच्चतर आयु सीमा में 10 वर्ष छूट होगी।

4. छत्तीसगढ़ विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट होगी।
5. छ.ग. शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्कचार्ज या कान्टिजेंसी पैड कर्मचारियों तथा छ.ग. राज्य के निगमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी। यही अधिकतम आयु सीमा परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी।
6. ऐसे अभ्यर्थी " जो छंटनी किया गया शासकीय सेवक" हो उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 07 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जावेगा, परन्तु उसके परिणाम स्वरूप उच्चतर आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो।
7. ऐसा अभ्यर्थी जो छ.ग. के भूतपूर्व सैनिक, हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि को कम करने अनुमति दी जायेगी, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो। (छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर का पत्र क्रमांक एफ–13–2/2012 आ.प्र./1–3 दिनांक 12.03.2015 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को शासकीय सेवा में नियुक्ति के पूर्व किये गये आवेदनों में ही आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। शासकीय सेवा में नियुक्ति के पश्चात् उनके द्वारा किये जाने वाले आवेदनों में उन्हें आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा)
8. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–3/1/2016/1–3 नया रायुपर, दिनांक 11.01.2017 के अनुसार केवल छत्तीसगढ़ राज्य स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष छूट होगी।
9. स्वयं सेवा नगर सैनिकों (वालंटरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की कालावधि तक छूट 8 वर्ष की सीमा के अध्याधीन रहते हुये दी जावेगी, किन्तु किसी भी दशा में उसकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

<u>स्पष्टीकरण</u> :– शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गो में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की अवधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी किया गया हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो :–

A. ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवा निवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन मुक्त कर दिया गया हो,
B. ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो और जिन्हें
   (क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर
   (ख) नामांकन की शर्ते पूर्ण हो जाने पर सेवा मुक्त कर दिया गया हो।
C. मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कार्मिक।
D. अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किये गये अधिकारी।
E. ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो।
F. ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवा मुक्त किया गया हो कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं है।
G. ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

10. आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरूष्कृत दम्पतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी–3/10/85/3/1 दिनांक 20.06.1985 के संदर्भ में आयु सीमा 5 वर्ष छूट दी जायेगी।
11. राज्य अर्थात छ.ग. राज्य में प्रचलित शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान एवं महाराजा प्रवीचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को सामान्य उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष छूट दी जायेगी।
12. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–3–2/2002/1–3 रायपुर, दिनांक 03.01.2012 के अनुसार संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जायेगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की हो। यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी।
13. सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्र क्रमांक 650/209/2022/1–3 रायपुर, दिनांक 07.04.2022 एवं क्रमांक एफ–2/2002/1/3/दिनांक 10.02.2006 के अनुसार शिक्षाकर्मियों/पंचायत कर्मियों को शिक्षाकर्मी सेवा में भर्ती के लिए उतने वर्ष उतने वर्ष की छूट दी जावेगी, जितने वर्ष शिक्षाकर्मी/पंचायतकर्मी के रूप में सेवा की है। इसके लिए 06 माह से अधिक सेवा को 01 वर्ष सेवा मान्य की जावेगी तथा यह छूट अधिकतम 45 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी।
14. उन अभ्यर्थी के संबंध में भी जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हो अथवा रह चुके हो नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते उच्चतर आयु सीमा में छूट दी जायेगी।
15. आरक्षण का लाभ छ.ग. के मूल निवासियों को प्राप्त होगा तथा सभी प्रकार की आयु में छूट (विधवा, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निशक्तजन, भू.पू.सै.) छ.ग. के निवासियों को प्राप्त होगा।
16. दिव्यांग आवेदकों को आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी, बशर्ते दिव्यांगता कम से कम 40 प्रतिशत होना चाहिए।

- **नियुक्ति के लिए अपात्रता :–**

1. कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु सीमा के पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
2. कोई भी पुरूष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियॉ जीवित हो और कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/नहीं होगी।
3. किसी उम्मीदवार की सेवा या पद पर तब तक नियुक्ति नहीं किया जाएगा जब तक उसे ऐसे स्वास्थ्य परीक्षा में जो विहित की जाए, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ्य और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त न पाया जाए।
4. कोई भी उम्मीदवार किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि ऐसी जॉच के बाद जैसा कि आवश्यकता समझी जाये, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाए कि वह सेवा या पद के लिए किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।
5. जो किसी अपराधिक प्रकरण में सजायाप्ता हो अथवा कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु जहॉ तक किसी उम्मीदवार के विरूद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हो तो उसकी नियुक्ति का मामला अपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने पर लंबित रखा जाए।

6. किसी उम्मीदवार को शासकीय एवं अर्द्धशासकीय सेवा में कदाचरण के आरोप में हटाने गए या अवचार के दोषी/निलंबित/बर्खास्त/ब्लैक लिस्टेड किया गया व्यक्ति पात्र नहीं होगे।

- **नियम व शर्ते :–**

1. उपरोक्त विज्ञापित पदो के लिए किये जाने वाले चयन प्रक्रिया तथा नियुक्तियां माननीय उच्चतम न्यालायल नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होगी।
2. आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है तथा सक्षम अधिकारी एवं स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करे।
3. यह नियुक्तयॉ छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते), नियम 1961 से शासित होगी।
4. आयु की गणना दिनांक 01.01.2023 के संदर्भ में की जायेगी।
5. आयु सीमा में छूट के संबंध में प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. विज्ञापन जारी तिथि के पूर्व निर्धारित समस्त शैक्षणिक एवं अनिवार्य अन्य अर्हताएँ पूर्ण होना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन तत्काल अस्वीकृत हो जावेगा। इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य नहीं होगा।
7. आवेदक का छ.ग. राज्य के रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। जिसकी स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करे।
8. आवेदन पत्र पर नियत स्थान पर स्वयं के द्वारा सत्यापित हाल ही के पासपोर्ट साईज का फोटो अनिवार्य रूप से चिपकाये।
9. विज्ञप्ति दिनांक से पूर्व तथा अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन मान्य नहीं किया जावेगा।
10. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र, निवासी प्रमाण–पत्र व अन्य आवश्यक दस्तावेजों की स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
11. आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 25 अगस्त 2023 तक, कार्यालय जिला पंजीयक कबीरधाम, तहसील कार्यालय के पीछे पिन कोड– 491995 के पते पर रजिस्टर्ड डाक, स्पीड पोस्ट अथवा स्वयं के माध्यम से जमा करना अनिवार्य है, जो आवेदन विज्ञापन के साथ प्रकाशित प्रारूप/प्रपत्र एवं शर्तों के अनुसार नहीं पाये जाने पर उस पर विचार नहीं किया जायेगा।
12. उपरोक्त विज्ञप्ति पदों की संख्या में वर्गवार कमी अथवा वृद्धि परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन की जा सकेगी।
13. आवेदन विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताओं के अनुरूप अपनी अर्हता की जॉच स्वयं सुनिश्चित कर ले एवं अर्हता की समस्त शर्तों को पूर्ण करने की स्थिति से पूर्णता संतुष्ट होने पर ही आवेदन करें। दस्तावेजों के सत्यापन में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना दिये उसकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जावेगी।
14. चयनित अभ्यर्थी को शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत होने पर नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
15. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन–पत्र अमान्य कर दिये जायेगें। ऐसे आवेदन पत्रों के संबंध अलग से कोई सूचना नहीं दी जावेगी।

16. दस्तावेजों के सत्यापन के समय अभ्यर्थी को शैक्षणिक एवं अन्य वांछित अर्हताओं के संबंध में दस्तावेज के मूल प्रति के साथ–साथ स्वप्रमाणित छायाप्रति की 01 प्रति लेकर आना अनिवार्य होगा। (मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय का शैक्षणिक, तकनीकी योग्यता संबंधी दस्तावेज, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र, निवास प्रमाण–पत्र, आयु प्रमाण–पत्र, रोजगार पंजीयन प्रमाण–पत्र, दिव्यांग होने की दशा में सक्षम प्राधिकारी की दिव्यांगत प्रमाण–पत्र, भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण–पत्र इत्यादि)
17. दिव्यांग अभ्यर्थियों को सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी/मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी निःशक्तता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आवेदन भरते समय दिव्यांगता का प्रतिशत अंकित करना अनिवार्य है, 40 प्रतिशत एवं उससे अधिक दिव्यांगता प्रमाण पत्रों को मान्य किया जावेगा।
18. भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार को सेना द्वारा प्रदत्त डिस्चार्ज बुक दस्तावेज सत्यापन/जॉच के समय लाना अनिवार्य होगा।
19. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के आवेदकों को स्थाई जाति प्रमाण–पत्र की स्व–प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
20. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय लेने का संपूर्ण अधिकार नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी अर्थात् कलेक्टर, जिला– कबीरधाम को होगा।
21. विज्ञापन में तथ्यात्मक/लिपिकीय त्रुटि चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी स्तर में सुधार की जा सकेगी। जिसकी विधिवत सूचना प्रकाशित होगी, ऐसे त्रुटि सुधार से चयन की प्रक्रिया अप्रभावित रहेगी। इसके संबंध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा।
22. विज्ञापन संबंधित समस्त जानकारी कार्यालय के सूचना पटल पर एवं जिले के अधिकारिक वेबसाईट www.kawardha.gov.in में अवलोकन किया जा सकता है।

- **भृत्य पद हेतु चयन प्रक्रिया :–**

1. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता कक्षा–5वीं में प्राप्त अंक के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी।
2. उक्त पद हेतु प्रवर्गवार 1:6 में दस्तावेज सत्यापन/परीक्षण हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
3. ऐसे उम्मीदवार जिन्हें कक्षा–5वीं में ग्रेडेशन अंकसूची/प्रमाण–पत्र दिया गया है, वे सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों वाला अंकसूची/प्रमाण–पत्र दस्तावेज सत्यापन/परीक्षण के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

- **अन्य महत्वपूर्ण शर्ते :–**

1. उम्मीदवार समतुल्यता प्रमाण–पत्र परीक्षा पॉचवीं उत्तीर्ण अंकसूची के साथ आवेदन करेगा, उसे नोटरी द्वारा सत्यापित कम से कम राशि 5/– रूपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत कर इस आशय का घोषणा करना होगा कि उनके द्वारा समतुल्यता प्रमाण पत्र परीक्षा पॉचवीं/आठवीं उत्तीर्ण करने के पूर्व के वर्षों में किसी भी बोर्ड/संस्था से कक्षा पॉचवीं उत्तीर्ण नहीं की है। कार्यालय के संज्ञान में आने पर तथा जॉच में इसकी पुष्टि होने पर कि पूर्व के वर्षों में कक्षा पॉचवीं उत्तीर्ण होते हुये भी केवल नियुक्ति पाने के प्रयोजन से उम्मीदवार के द्वारा समतुल्यता प्रमाण–पत्र कक्षा पॉचवीं उत्तीर्ण का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, तो ऐसे उम्मीदवार का आवेदन पत्र अथवा नियुक्ति आदेश निरस्त कर उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

2. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी की जन्मतिथि को आधार मानकर वरीयता तय की जायेगी। जिन अभ्यथियों की जन्मतिथि पहले होगी (उम्र में बड़े होगे) उन्हे प्रथम प्राथमिकता दी जावेगी।
3. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्र/अपात्र के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी चयन समिति अथवा कलेक्टर, जिला– कबीरधाम को होगा।
4. अंतिम मेरिट में पदों की संख्या अनुसार वर्गवार एवं संगत श्रेणीवार चयन किए जाने के उपरांत वर्गवार एवं संगत श्रेणीवार पदों की संख्या के दुगुनी संख्या में मेरिटवार प्रतीक्षा सूची तैयार की जावेगी।
5. नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा जारी चयन सूची दिनांक से 01 वर्ष के लिए वैध होगी।
6. प्रतीक्षा सूची वैधता 01 वर्ष के लिए वैध रहेगी।
7. परिवीक्षा अवधि :– चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति छ.ग. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर, अटल नगर के वित्त निर्देश कमांक 372/260/वि./नि./चार/2020 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 20.07.2020 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन रायपुर, अटल नगर, दिनांक 20.07.2020 की अधिसूचना के आधार पर तीन वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी। परिवीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टायपेण्ड देय होगा तथा अन्य भत्ते भी नियमानुसार प्राप्त होगे।

   प्रथम वर्ष उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70%
   द्वितीय वर्ष उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80%
   तृतीय वर्ष उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90%

जिला पंजीयक
कबीरधाम (छ.ग.)

पृ0क्रमांक / 600 / जि.पं. / स्था.भर्ती / 2023 **कबीरधाम, दिनांक 24 / 07 / 2023**

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग, मंत्रालय महानदी भवन रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक छ.ग. रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक, जनसंपर्क छ.ग. रायपुर की ओर सूचनार्थ। जिला पंजीयक कार्यालय के स्थापना के लिए भृत्य पद हेतु सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन 02 दैनिक समाचार पत्रों में संक्षिप्त प्रकाशन कर समाचार पत्र की प्रति इस कार्यालय को अभिलेख हेतु भेजने का कष्ट करे।
4. आयुक्त, दुर्ग संभाग दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
5. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी (NIC) कबीरधाम को प्रेषित कर लेख है, कि कृपया जिले के वेबसाईट पर तत्काल अपलोड करने का कष्ट करें।
6. सहायक संचालक, जनसंपर्क विभाग कबीरधाम की ओर दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
7. स्टेनो–टू कलेक्टर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पंजीयक
कबीरधाम (छ.ग.)

आवेदन का प्रारूप

प्रति,

जिला पंजीयक
कबीरधाम (छ.ग.)

1. आवेदित पद का नाम : ....
2. आवेदक का नाम (हिन्दी) : ....
   (अंग्रेजी के केपिटल लेटर में) : ....
3. पिता / पति का नाम : ....
4. (अ) जन्मतिथि अंकों में : ....
   (ब) शब्दों में : ....
   (स) दिनांक 01.01.2023 : वर्ष ....माह ....दिन...........
5. लिंग (पुरूष / महिला) : ....
6. शैक्षणिक योग्यता : ....

क्र.	परीक्षा का नाम	बोर्ड / वि.वि. का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	कुल अंक	प्राप्तांक	प्रतिशत / ग्रेड
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

7. पत्र व्यवहार का वर्तमान पूर्ण पता : ....
   ....
   ....
8. स्थायी पता : ....
   ....
   ....
9. दूरभाष / मोबाईल नंबर : ....
10. रोजगार कार्यालय का नाम एवं जीवित : ....
    पंजीयन कमांक एवं दिनांक : ....
    (सत्यापित प्रति संलग्न करें) : ....
11. क्या आप शासन द्वारा अधिसूचित अजा : ....
    / अजजा / अपिव के सदस्य हैं? यदि हॉ तो
    उल्लेख करें। (सत्यापित प्रति संलग्न करें)

12. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का निवासी है? : ....
(यदि हॉ तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास :..
प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें) :..

13. भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों के लिए
(अ) सेना का नाम जिसमें कार्य किया गया है :..
(ब) कार्य की अवधि दिनांक...........से........तक कुल अवधि

14. क्या आवेदक विवाहित है? हॉ/नहीं :..

15. यदि विवाहित है, तो विवाह की तिथि :..

16. यदि आप शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में कार्यरत :..
हो विवरण (नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें)

17. संलग्न प्रमाण पत्र की सूची :– 1–.......................... 2–.......................... 3–..........................
4–.......................... 5–.......................... 6–..........................7–.......................... 8–......................

दिनांक :– **आवेदक का नाम**
स्थान :– **एवं हस्ताक्षर**

//घोषण//

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ, कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और असत्य/भ्रामक पायी जाती है, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किये जाने योग्य होगी।

दिनांक :– **आवेदक का नाम**
स्थान :– **एवं हस्ताक्षर**